भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 68/2021

No. 2021/AC-II/2/5/e

New Delhi, dated 02.12.2021

General Manager/PFA,
East Coast Railway

Sub: **ACS No. 154** of Indian Railway Finance Code Vol. II- Creation of a new detailed Head under Minor Head-300/SMH-04.
Ref:- PFA/ECOR's letter no. ECoR/ACCTS/Books/520 dated 25.05.2021.

~~~~~~~~

In order to facilitate separate budgeting and accountal of expenditure incurred on repairs/POH activities of wagons in non-Railway entities, new detailed heads of Account have been introduced vide **ACS no. 154** to Indian Railway Finance Code Vol. II (copy enclosed)

Kindly acknowledge receipt and ensure compliance.

DA: As above.

02/12/21

**(Ajay Bartwal)**
**Joint Director Finance /CCA**
**Railway Board**

**Copy to:**

1. All GMs/PFAs (other than ECoR) for information.
2. Dy. C&AG (Railways) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
3. EDME (Fr), EDF(B),CRIS
4. AC-I (Comp), AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.
~~~~~~~~

Advance Correction Slip No. 154

Indian Railway Finance Code Vol.II (Reprint Edition 2008)

Classification of Revenue Expenditure –Appendix-I

Please modify the Detailed Heads under the Sub Major Head - 04 (erst-while Demand No. 6) in the following manner:

SMH	Minor Head	Sub Head	Detailed Head
04	300 wagons	320 Running repairs in workshops for sick lines	321 Running repairs in Workshops for sick lines- **By Railway Entities (Zonal Railways)** 322 Running repairs in Workshops for sick lines- **By Railway PSU/Non Railway Entities**
		330 Periodical overhauls	331 Wagons –Normal POH- **By Railway entities (Zonal Railways)** 332 Wagons-POH involving corrosion repairs – **By Railway Entities (Zonal Railways)** 333 Wagons- Normal POH- **By Railway PSU/ Non Railway Entities** 334 Wagons-POH involving corrosion repairs – **By Railway PSU /Non Railway Entities**
		340 Special Repair	341-Special repair – **By Railway Entities (Zonal Railways)** 342- Special repair – **By Railway PSU and Non Railway Entities etc**
		360 Other repairs	361 Other repairs -- **By Railway Entities (Zonal Railway)** 362- Other repairs -- **By Railway PSU/Non Railway Entities**

(Authority : Board's letter no. 2021/ACII/2/5/e dated : 2.12.2021)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 68/2021

सं. 2021/एसी-II/2/5/ई

नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2021

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
पूर्व तट रेलवे

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 154 - लघु शीर्ष - 300/एसएमएच-04 के अंतर्गत एक नए ब्यौरेवार शीर्ष का सृजन।

संदर्भ: प्रधान वित्त सलाहकार/पूर्व तट रेलवे का दिनांक 25.05.2021 का पत्र सं. ईकोआर/एसीसीटीएस/बुक्स/520.

गैर-रेलवे इकाइयों में माल डिब्बों की मरम्म्त/आवधिक ओवरहाल कार्यों में हुए व्यय की पृथक बजट व्यवस्था और लेखे-जोखे को सरल करने के लिए भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (प्रतिलिपि संलग्न) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 154 के तहत लेखा के नये ब्यौरेवार शीर्ष जोड़े गये हैं।

कृपया पावती दें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. सभी महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार (पूर्व तट रेलवे के अतिरिक्त) के सूचनार्थ।
2. उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (मालभाड़ा), कार्यपालक निदेशक वित्त (बजट), क्रिस।
4. लेखा-I (संकलन), लेखा-III (6 प्रतियां) , लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 154

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (पुनःमुद्रित संस्करण 2008)
राजस्व व्यय का वर्गीकरण -परिशिष्ट-I

कृपया उप मुख्य शीर्ष -04 (पूर्व में मांग सं. 6) के अंतर्गत ब्यौरेवार शीर्ष का आशोधन निम्नानुसार करें:

उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष (नया)	ब्यौरेवार शीर्ष
04	300 माल डिब्बे	320 कारखानों में मरम्मत लाइनों के लिए छोटी-मोटी मरम्म्तें	321 मरम्मत लाइनों के लिए कारखानों में छोटी-मोटी मरम्मतें - रेल इकाइयों (क्षेत्रीय रेलों) द्वारा 322 मरम्मत लाइनों के लिए कारखानों में छोटी-मोटी मरम्मतें - रेलवे पीएसयू/गैर-रेल इकाइयों द्वारा
		330 आवधिक ओवरहाल	331 माल डिब्बे - सामान्य आवधिक ओवरहाल - रेल इकाइयों (क्षेत्रीय रेलों) द्वारा 332 माल डिब्बे - आवधिक ओवरहाल जिसमें संक्षारण शामिल है - रेल इकाइयों (क्षेत्रीय रेलों) द्वारा 333 माल डिब्बे - सामान्य आवधिक ओवरहाल - रेलवे पीएसयू/गैर-रेल इकाइयों द्वारा 334 माल डिब्बे - आवधिक ओवरहाल जिसमें संक्षारण शामिल है - रेलवे पीएसयू/गैर-रेल इकाइयों द्वारा
		340 विशेष मरम्मत	341- विशेष मरम्मत - रेल इकाइयों (क्षेत्रीय रेलों) द्वारा 342 - विशेष मरम्मत - रेलवे पीएसयू/गैर-रेल इकाइयों आदि द्वारा
		360 अन्य मरम्मतें	361- अन्य मरम्मतें - रेल इकाइयों (क्षेत्रीय रेलों) द्वारा 342 - अन्य मरम्मतें - रेलवे पीएसयू/गैर-रेल इकाइयों द्वारा

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 02.12.2021 का पत्र सं. 2021/एसी।।/2/5/ई)
